न्यायालय जिला कलक्टर,राजसमंद
(नीलाभ सक्सेना,आई0ए0एस0,जिला कलक्टर द्वारा अध्यासित)

नामान्तरण अपील संख्याः 14/2022
दायर दिनांकः 26.05.2022
निर्णय दिनांक 02.09.2022

—ःअनवानः—

श्रीमती पुष्पा पत्नी श्री भैरूसिंह उर्फ रतन सिंह पिता श्री केसर सिंह राजपूत निवासी धांयला तहसील राजसमंद जिला राजसमंद

— अपीलार्थी

बनाम

(1) श्रीमती राजू बाई पत्नी श्री केसर सिंह राजपूत नि. पिपलिया तहसील राजसमंद जिला राजसमंद
(2) श्रीमती मीरा कुंवर पत्नी श्री मदनसिंह राजपूत नि. पिपलिया तहसील राजसमंद जिला राजसमंद
(3) श्रीमती कैलाश कुंवर पत्नी श्री देवीसिंह राजपूत नि. देवड़ो का खेडा तहसील राजसमंद जिला राजसमंद
(4) राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (भू.अभिलेख), राजसमंद तहसील राजसमंद जिला राजसमंद **— रेस्पोण्डेंटगण**

अपील विरुद्ध निर्णय नामान्तरण संख्या 188 दिनांक 13.11.2020 ग्राम पिपलीया पटवार हल्का तलाई, तहसील राजसमंद को तहसीलदार (भू. अभिलेख) राजसमंद जिला राजसमन्द द्वारा दिनांक 10.12.2020 को स्वीकार किया जाने से व्यथित होकर, अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थितः—

1— श्री जितेन्द्र पालीवाल, अधिवक्ता अपीलांट
2— श्री अनिल बागोरा, राजकीय अधिवक्ता

प्रस्तुत अपील में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार, राजसमंद ने स्वर्गीय श्री केसरसिंह के खातेदारी की ग्राम पीपलीया, पटवार सर्कल, तलाई तहसील राजसमंद की आ.नं. 221, 222, 244/1129, 247/1128, 252, 300/1133, 315, 993/1149, 994/1137 कुल किता 9 कुल रकबा 2.8328 हैक्टर लगानी 23.75 रूपये का नामान्तरण रेस्पोडेंट संख्या एक दो तीन क्रमशः श्रीमती राजूबाई (पत्नी), श्रीमती मीरा कुंवर (पुत्री), श्रीमती कैलाश कुंवर (पुत्री) के पक्ष में स्वीकार कर निर्णित करने से अपीलार्थीया श्रीमती पुष्पा (पुत्रवधु) ने असंतुष्ट होकर अपील प्रस्तुत की है। उक्त कृषि भूमियों का नामान्तरण स्वर्गीय केसर सिंह पिता कल्याण सिंह के 1/2 हिस्से को रेस्पोडेन्ट संख्या 1, 2 व 3 के पक्ष में निर्णित करने की भारी भूल की हैं। जबकि दिनांक 12.01.2020 को मृतक श्री केसर सिंह के निम्नानुसार वारीसान हैः— **दिनांक 12.01.2020 को मृतक श्री केसर सिंह के निम्न वारीसान हैः—**

राजू बाई	मीरा कुंवर	कैलाश कुंवर	भैरूसिंह उर्फ रतन सिंह (दिवंगत)
(पत्नी)	(पुत्री)	(पुत्री)	श्रीमती पुष्पा (पुत्र वधु)

उक्त कृषि भूमियॉ पैतृक कृषि भूमियॉ है, अपीलांट का भी उक्त कृषि भूमि में रेस्पोडेन्ट संख्या 1,2,3 के साथ बराबर हिस्सेदार हैं।

नामान्तरण अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोण्डेंटगण को तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 स्वयं उपस्थित एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 4 की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने उपस्थिति दी। दिनांक 16.08.2022 को रेस्पोडेंट 1, 2 एवं 3 ने स्वंय न्यायालय में उपस्थित होकर सहमति पत्र प्रस्तुत करते हुए न्यायालय से अनुरोध किया कि अपीलार्थी श्रीमती पुष्पा पत्नी भैरूसिंह उर्फ रतनसिंह मेरे पुत्र व हमारे भाई की पत्नी है। सहवन से नामान्तरण संख्या 188 दिनांक 13.11.2020 ग्राम पिपलिया पटवार हल्का तलाई तहसील व जिला राजसमंद में अपीलार्थी का नाम जुड़ने से रह गया था। स्वर्गीय श्री केसरसिंह के खातेदारी की ग्राम पीपलीया पटवार हल्का तलाई में स्थित आ.नं. 221, 222, 244/1129, 247/1128, 252, 300/1133, 315, 993/1149, 994/1137 कुल किता 9 कुल रकबा 2.8328 हैक्टर भूमि के नामान्तरण में अपीलार्थी का स्व. भैरूसिंह उर्फ रतनसिंह के वारीसान के रूप में उनकी पत्नी की हैसीयत से हिस्से अनुसार नामान्तरण खोला जावे तो हमे किसी प्रकार की कोई आपति नहीं होकर नामान्तरण हेतु सहमती प्रदान करते है। रेस्पोडेंट संख्या 1 से 3 की सहमति अनुसार अपीलार्थी का नाम उसके हिस्से अनुसार जोड़े जाने की अनुमति हेतु न्यायालय को सहमति प्रस्तुत की है। राजकीय अधिवक्ता ने अपने बहस में निवेदन किया कि वक्त नामान्तरण प्रस्तुत दस्तावेज व जॉच रिपोर्ट के आधार पर विधिसम्मत कार्यवाही की गई ।

उभयपक्ष की बहस पर गहन मनन किया गया । पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपील पत्रावली एवं ग्राम पिपलीया पटवार हल्का तलाई, तहसील राजसमंद का तहसीलदार (भू.अभिलेख) राजसमंद जिला राजसमन्द द्वारा दिनांक 10.12.2020 को स्वीकार/पारीत नामान्तरण संख्या 188 दिनांक 13.11.2020 अवलोकन से प्रकट हैं कि दिनांक 12.01.2020 को मृतक–स्वर्गीय श्री केसरसिंह के श्रीमती राजूबाई (पत्नी), श्रीमती मीरा कुंवर (पुत्री), श्रीमती कैलाश कुंवर (पुत्री) एवं स्वर्गीय पुत्र श्री भैरूसिंह उर्फ रतन सिंह की पत्नी श्रीमती पुष्पा (पुत्र वधु) कुल चार वारीसान होने के बावजूद भी स्वर्गीय श्री केसरसिंह के ग्राम पीपलीया पटवार हल्का तलाई में स्थित कृषि भूमि आ.नं. 221, 222, 244/1129, 247/1128, 252, 300/1133, 315, 993/1149, 994/1137 कुल किता 9 कुल रकबा 2.8328 हैक्टर भूमि में श्रीमती राजूबाई (पत्नी), श्रीमती मीरा कुंवर (पुत्री), श्रीमती कैलाश कुंवर (पुत्री) के नाम से ही तहसीलदार (भू.अभिलेख) राजसमंद जिला राजसमन्द द्वारा दिनांक 10.12.2020 को नामान्तरण संख्या 188 स्वीकार/पारीत किया जो विधिनुकूल नहीं होने से उक्त नामान्तरण संख्या 188 को खारीज होने योग्य हैं। तहसीलदार (भू.अभिलेख) राजसमंद जिला राजसमन्द को निर्देशित किया जाता है कि स्वर्गीय श्री केसरसिंह के ग्राम पीपलीया पटवार हल्का तलाई में स्थित कृषि भूमि आ.नं. 221, 222, 244/1129, 247/1128, 252, 300/1133, 315, 993/1149, 994/1137 कुल किता 9 कुल रकबा 2.8328 हैक्टर भूमि में स्वर्गीय श्री केसरसिंह के विधिक वारीसानों की जॉचकर नया नामान्तरण स्वीकार/पारीत किया जावे।

::आदेश::

उपरोक्त विवेचनान्तर्गत अपीलार्थी श्रीमती पुष्पा पत्नी श्री भैरूसिंह उर्फ रतन सिंह पिता श्री केसर सिंह राजपूत निवासी धांयला द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार की जाकर तहसीलदार (भू.अभिलेख) राजसमंद जिला राजसमन्द द्वारा दिनांक 10.12.2020 को स्वीकार/पारीत नामान्तरण संख्या 188 को खारीज किया जाकर तहसीलदार (भू.अभिलेख) राजसमंद को आदेशित किया जाता है कि स्वर्गीय श्री केसरसिंह के ग्राम पीपलीया पटवार हल्का तलाई में स्थित कृषि भूमि आ.नं. 221, 222, 244/1129, 247/1128, 252, 300/1133, 315, 993/1149, 994/1137 कुल किता 9 कुल रकबा 2.8328 हैक्टर भूमि में समस्त विधिक वारीसान के नाम नियमानुसार नया नामान्तरण स्वीकार/पारीत किया जावे।

(नीलाभ सक्सेना)
जिला कलक्टर
राजसमंद

निर्णय आज दिनांक: 02.09.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नीलाभ सक्सेना)
जिला कलक्टर
राजसमंद